



DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY, SABOUR, BHAGALPUR

Letter No.: 160(D)/MANAGE/DEE/BAU, Sabour/ 2106

Date : 02.11.2024

To,

**Project Director
Agricultural Technology Management Agency (ATMA) ; All
Bihar**

Sir/Madam,

This is to bring to your notice that MANAGE has launched a one-year Post-Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM) in distance learning mode during 2007, under the Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programme for Extension Reforms." The States are getting the support of the Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA& FW), Govt. of India under Extension Reforms Scheme to the tune of 60%, 90% and 100% for General States, North-Eastern States & three Himalayan States and Union Territories respectively. Until now, around 22,000 candidates, mostly government employees have benefitted from this program and applied the knowledge and technologies learnt from this course at the field level.

The notification of 18th (2024-25) batch, PGDAEM is released and brochure is herewith attached to forward to all the SNOs and SAMETIs **for wide publicity among government employees from Agricultural and allied departments**, SAUs, CAUs, KVKs, boards, corporations, ATMA offices etc. in order to generate awareness and inspire them to enroll for the program in the 18th batch (2024-25).

The last date for receiving applications at BAU, Sabour by the respective ATMA is **December 31, 2024 (Tuesday)**, at the Directorate of Extension Education, Bihar Agricultural University, Sabour so that it can be forwarded to BAMETI, Patna for approval and MANAGE, Hyderabad, thereafter on time. Brochure of the program is enclosed for more information. Details about the program are available on MANAGE website: www.manage.gov.in/pgdaem/pdf

In this context, it is to inform that this program is free for all the government and field level officers in the department of Agriculture, Horticulture, Fisheries, Forestry, Animal Husbandry, boards, KVKs, and SAUs etc. wherever the field level personnel are working. Enrollment of candidates from Horticulture, Fisheries, Sericulture, Forestry sectors etc. is not very encouraging, which must be enhanced. Hence, it is to request to issue necessary directions to **nominate 2-3 candidates from each district from your State** so that they can benefit from the course and apply the learnt knowledge at field level effectively.

Looking forward to receiving the nominations from your side.

Thank you,

Encl.: Brochure and leaflet of PGDAEM

Sincerely yours,

(R. K. Sohane)

DEE, BAU, Sabour

Copy to Director, BAMETI, Patna for information and n/a in reference to Memo No. 318
dt. 20.08.2024



(0641)2452611

Mob. : 9199424640

Email : deebausabour@gmail.com

डॉ. विनीता कुमारी
उप निदेशक (जेंडर स्टडीज) एवं
प्रधान समन्वयक (पी.जी.डी.ए.इ.एम)



Dr. VEENITA KUMARI
Deputy Director (Gender Studies) &
Principal Coordinator (PGDAEM)

MNG-17/AEM - 02/ 2024-25
Dt. 25.10.2024

Madam/ Sir,

Sub: Post Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM),
MANAGE – Notification for 18th batch admission– reg.

Greetings from National Institute for Agricultural Extension Management (MANAGE),
Hyderabad.

MANAGE is an autonomous organization established in 1987, under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. MANAGE is mandated for Training, Consultancy, Research, Education and Policy Advocacy in the field of Extension Management.

Thousands of public extension functionaries serve agriculture sector in India. These extension functionaries shoulder a challenging responsibility to provide extension support to a large population of farmers who play a crucial role in addressing food security of the country.

Realizing the paramount importance of public and private extension system, MANAGE launched a one-year Post-Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM) in distance learning mode during 2007, under the Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programme for Extension Reforms." The States are getting the support of the Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA& FW), Govt. of India under Extension Reforms Scheme to the tune of 60%, 90% and 100% for General States, North-Eastern States & three Himalayan States and Union Territories respectively. The remaining amount (matching share) 40% and 10% for the General States and North Eastern & three Himalayan States respectively is contributed by the concerned State Governments.

Until now, around 22,000 candidates, mostly government employees have benefitted from this program and applied the knowledge and technologies learnt from this course at the field level.

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. तेलंगाना, भारत.)

NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE)

(An Autonomous Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad - 500 030. Telangana State. INDIA
Telephone : +91 040-2459 4596/97, Fax : +91 (040) 24015388
E-mail : directoraem@manage.gov.in, Web : www.manage.gov.in



Our data highlights that majority of the candidates are enrolled from ATMA (ATMs and BTMs). **Enrollment of candidates from Horticulture, Fisheries, Sericulture, Forestry sectors etc. is not very encouraging.**

Notification of 18th (2024-25) batch, PGDAEM is released and brochure is herewith attached to forward to all the SNOs and SAMETIs **for wide publicity among government employees from Agricultural and allied departments**, SAUs, CAUs, KVKs, boards, corporations, ATMA offices etc. in order to generate awareness and inspire them to enroll for the program in the 18th batch (2024-25).

The last date for receiving applications is on or before **31st January, 2025**. Brochure of the program is enclosed for more information. Details about the program are available on MANAGE website: www.manage.gov.in/pgdaem/pdf

In this context, it is to inform that this program is free for all the government and field level officers in the department of Agriculture, Horticulture, Fisheries, Forestry, Animal Husbandry, boards, KVKs, and SAUs etc. wherever the field level personnel are working. Hence, it is to request to issue necessary directions to **nominate 2-3 candidates from each district from your State** so that they can benefit from the course and apply the learnt knowledge at field level effectively.

Warm regards,

Yours Sincerely,

(Veenita Kumari)



कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDAEM) 2024-25



पीजीडीईएम कार्यक्रम के उद्देश्य:

1. विस्तार कार्यकर्ताओं की तकनीकी-प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाना।
2. कृषि विस्तार के क्षेत्र में नवीनतम विकास से शिक्षार्थियों को परिचित कराना।
3. सहभागी निर्णय लेने के लिए शिक्षार्थियों को नवीनतम तकनीकों से लैस करना।
4. कृषि.मूल्य श्रृंखला को समृद्ध करने के लिए विभिन्न विस्तार मॉडलों में अंतर्दृष्टि विकसित करना।

पात्रता मानदंड:

- कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन आदि में केंद्र/राज्य सरकारों के सेवारत कर्मचारी, जिनके पास कृषि और अन्य विषयों में स्नातक की डिग्री है और जो केंद्र/राज्य/संघ राज्य सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के कृषि/सम्बद्ध क्षेत्रों के विभागों में कार्यरत हैं।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के प्रखण्ड और सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (बीटीएम और एटीएम) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस/ वैज्ञानिक) एवं उपर्युक्त विभागों में सरकारी कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी।

आवेदन की अंतिम तिथि: 31 December 2024

आवेदकों को प्रॉस्पेक्टस में उपलब्ध आवेदन पत्र की प्रति जमा करनी होगी, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे जिले के संबंधित आत्मा के माध्यम से बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में भेजा जाना है।

अधिक जानकारी के लिए पीजीडीईएम सेल से संपर्क करें:

वेबसाइट: <https://www.manage.gov.in/pgdaem/pgdaem.asp#>

ईमेल आईडी: directoraem@manage.gov.in

टेलीफोन: 040-24594597

मोबाइल नंबर: 9490797922

नोडल अधिकारी

डॉ. आदित्य सिन्हा (सहायक प्रोफेसर, प्रसार शिक्षा)
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
मोबाइल नंबर: 9798649444
ईमेल: bausabournti@gmail.com

A Distance Learning Initiative of MANAGE

EIGHTEENTH Batch of
Post-Graduate Diploma in Agricultural
Extension Management (PGDAEM)
2024 - 2025

“Promoting Professionalism in
Public Extension System”



National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)
(An Autonomous Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)
Rajendranagar, Hyderabad 500 030, Telangana, India
www.manage.gov.in

ABOUT THE INSTITUTE:

The National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) established in 1987, is an apex level autonomous institute under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. MANAGE is involved in major initiatives towards reorientation and modernization of the agricultural extension system, for evolving effective ways of managing the extension system through professional guidance and training of critical manpower.

MANAGE offers its services in Training, Consultancy, Management Education, Research and Information Services. MANAGE has been facilitating in the implementation of Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programme for Extension Reforms", which comes under Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) of the National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET)" being implemented across the country with enrollment from over 700 districts in 31 States and 5 Union Territories of the country.

POST GRADUATE DIPLOMA IN AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (PGDAEM)

There are around one lakh public extension functionaries in India. The public and private extension system extension functionaries play a crucial role in addressing the serious concerns in Indian agriculture such as major percentage of small holding farmers, huge yield gaps, disparity in use of inputs and deterioration of natural resources. There is a need to encourage and empower them through capacity building for improving their effectiveness in extension delivery system.

MANAGE has launched the Post Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM) is in distance learning mode during 2007 under this Centrally Sponsored Scheme exclusively on Agricultural Extension Management, for the public and private extension functionaries of the country. The programme has completed fifteen years and the sixteenth batch is in progress.

Across the period more than 23,000 candidates from Agriculture and Allied sectors have enrolled in PGDAEM. The PGDAEM being a unique intervention for strengthening the capacities of extension personnel, has gained a lot of interest and popularity in recent times.

Since its inception in 2007 the programme received full support of the Government of India (GoI) till the Financial Year 2014-15. With effect from Financial Year 2015-16, the States are getting the support of the Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA & FW), Govt. of India under Extension Reforms Scheme to the tune of 60%, 90% and 100% for General States, North-Eastern States & three Himalayan States and Union Territories respectively.

The remaining amount (matching share) 40% and 10% for the General States and North Eastern & three Himalayan States respectively is contributed by the concerned State Governments.

PGDAEM helped me in handling the field situation effectively and professionally interacting with farmers.

- Ms. Ms Almas Fathima M, Gold medalist, 16th batch, PGDAEM.

Objectives of the PGDAEM Programme



To enhance the techno-managerial competence of extension functionaries

To acquaint the learners on the latest developments in the field of agricultural extension

To equip the learners with the tools and techniques for participatory decision making.

To develop an insight into various extension models to enrich the agri-value chain.

Course Structure and Contents:

The programme has 30 credits and will be offered in two semesters. Each semester will have 15 credits. One credit is equal to 30 hours of study. The programme will have five courses with five assignments, one in each course in the 1st semester and four courses with one assignment in each course and a project work in the 2nd semester. The programme is supported with printed reading material, Lecture series-cum-contact classes and e-learning resources on the MANAGE website. The Lecture series-cum-contact classes will be organized at State Agricultural Management & Extension Training Institutes (SAMETIs) or any identified institute of the respective State for five days in each semester, well in advance of the commencement of examinations.

Framework of courses for semester I & II

Semester I

Course No.	Name of the course	Credits
AEM 101:	Introduction to Agricultural Extension	(3 credits)
AEM 102:	Facilitation for Development	(2 Credits)
AEM 103:	Communication for Development	(4 Credits)
AEM 104:	Gender Mainstreaming for Agricultural Development	(3 Credits)
AEM 105:	Leadership and Management Skills	(3 Credits)

Semester II

Course No.	Name of the course	Credits
AEM 201:	Rural Sociology	(2 Credits)
AEM 202:	Farm Business Management	(4 Credits)
AEM 203:	Planning for Agricultural Management	(3 Credits)
AEM 204:	Extension for Sustainable Agricultural Development	(3 Credits)
AEM 205:	Project work	(3 Credits)

General Information:

Eligibility Criteria:

In service employees from central/ State governments graduated in Agriculture and other disciplines such as Horticulture, Veterinary, Fisheries etc. and other Graduates currently employed in the departments of Agriculture/ Allied sectors of Central/ State/ UT Governments and State Agricultural Universities (SAUs), Block & Assistant Technology Managers (BTMs & ATMs) of ATMA and Subject Matter Specialists (SMSs) of Krishi Vigyan Kendras (KVKs) are eligible to enroll for the programme.

My communication and facilitation skills improved while delivery of technologies to the farmers.

**- Mr. Arun Kumar,
Silver medalist,
16th batch, PGDAEM.**

Preference will be given to employees in the above Departments.

All Graduates in Agriculture, Allied subjects and other Graduates working in Agri-business companies, NGOs, Cooperatives, Farmers' Organizations, Agri-entrepreneurs and Input dealers are also eligible.

Admission procedure and course fee for Government Employees:

Step 1.

- All the candidates belonging to government departments should **submit their applications (as enclosed in the brochure) through their immediate controlling authorities** with a request to forward
- The applications should be forwarded to Project Director, ATMA of the concerned district for admission into the PGDAEM.
- The private candidates from private companies should send the applications to SAMETIs of their respective states.

Step 2. After scrutiny of the applications, the Project Director will forward the same to the Director-SAMETI of the concerned State with a request to forward the same to the State Nodal Officer (SNO), Extension Reforms, of their State.

Step 3. The Director SAMETI in turn will compile the applications and forward the same for approval of the State Nodal Officer (SNO), Extension Reforms, of their State.

Step 4. All the applications **approved by the SNO*may be recommended to MANAGE** for admission in the XVIII (2024-25) batch of PGDAEM.

Fund release pattern:

For the programme, **60 %, 90% and 100% of the course fee for General states, North-Eastern & three Himalayan states and Union territories respectively is sponsored by the GoI under the Extension Reforms Scheme.** The matching State share of 40% and 10% for the General States, North-Eastern & three Himalayan States has to be released by State Governments to the SAMETIs for conducting the contact classes and examinations.

PGDAEM curriculum was up to date and informative helped in involving myself in scientific manner with regard to the teach the farmers.

- Ms. Prasanna Devi.R, Bronze medalist, 16th batch, PGDAEM.

Admission procedure and course fee for Private Candidates:

Extension functionaries graduated in Agriculture and allied sectors such as Horticulture, Veterinary, Fisheries etc. and other Graduates currently employed in the departments of Agriculture/ Allied sectors of Central/ State/ UT Governments and State Agricultural Universities (SAUs), Block & Assistant Technology Managers (BTMs & ATMs) of ATMA and Subject Matter Specialists (SMSs) of Krishi Vigyan Kendras (KVKs) should send their applications through proper channel to SAMETI/ Study centres designated by MANAGE. The applications should be forwarded by study center to MANAGE. The authority for final approval of the candidates' admission rests with MANAGE.

The candidates working in agribusiness companies, NGOs, cooperatives and those belonging to the category of agripreneurs, input dealers, progressive farmers, private sector employees etc. have to **pay Rs.15,000/- towards course fee in one instalment.** The amount should be paid in the form of **Demand Draft drawn in favor of MANAGE, Hyderabad or also can pay online or Google pay (Screen shot) and submit the transaction details** along with their application. **There are unlimited seats every year for this program.**

The account details to which the fees may be paid:

Name of the account: National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)

**Name of the Bank: State Bank of India
Branch: Rajendranagar, Hyderabad
A/c no.: 42004841992
IFSC code: SBIN0020074
MICR code: 500002348**

Or apply through the link present also in the PGDAEM page in the website:
<https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/payment/listcategory.html>

The applications of private candidates may be sent directly to MANAGE, Hyderabad.

Contact classes and Examinations:

The Lecture series-cum-contact classes will be organized at study center for five days in each semester, well in advance of the commencement of examinations. The study center has to conduct contact classes and examinations every semester in a gap of one month when announced by MANAGE.

In each semester, five days in first semester/ four days in second semester contact classes have to be organized covering one course a day.

It is mandatory to attend the contact classes. Writing examinations will be permitted only on attending the contact classes of the relevant courses.

Evaluation: Candidates will be evaluated based on their performance in both written examinations and assignments. The written examination of each course is for 70 marks and assignment for 30 marks. **A combined minimum of 50 marks is required to qualify besides a minimum of 50 marks in project work.** The candidates will be awarded by scoring

80% and above - First division with distinction

70% to 79.9%-First division

60% to 69.9% -Second division

50% to 60% - Pass.

Extra Chance: The candidates of 18th batch, 2024-25 who do not clear the examinations of 1st semester will be given an extra opportunity to write supplementary examinations at the end of 2nd semester. Further, the candidates who do not clear the examinations in the same year will be allowed to re-appear in 1st and 2nd semester examinations of academic year, 2025-26 only as an extra chance.

***No further extension will be given beyond April, 2027*.**

For attending the supplementary examinations of 1st and 2nd semester of PGDAEM:

(a) Candidates who would like to write **supplementary examination** must pay **a fee of Rs.200/subject.**

(b) Candidates must pay **a fee of Rs.200/assignment** for **re-submission or late submission** of their **assignment(s).**

(c) Candidates must pay **a fee of Rs.200/-**for **re-submission or late submission of their project reports.**

Assignments:

Submission of assignments in each course is mandatory to complete the course. Non-submission of assignments will be considered as incomplete. The course-wise assignment topics will be placed in MANAGE website. Candidates should submit the assignments before appearing for the term-end examinations.

Project Work:

The course AEM 205: Project work (3 Credits) is compulsory for completing the PGDAEM. The candidates have to select any one topic from A, B & C category (topics and guidelines are available in MANAGE website), within the purview of the programme AEM 205, based on their interest and its utility for the farming community and to their work situation.

The topic chosen from A, B & C category for the project work has to be planned as a **field activity** which the candidate has to implement in his/her own jurisdiction and report on the work done at the field level with the farmers / stake holders and its utility to the farming community. All candidates are required to submit a Project Report before the second semester examinations.

It is mandatory to submit a soft copy of the project report abstract to MANAGE after completion of the project report. Report on the project work carries 100 marks. A minimum of 50 marks is required to qualify in the project work.

Result: The final result of the programme will be uploaded in the MANAGE website. Original diploma certificates would be sent to the SAMETIs concerned along with marks memos.

If a candidate has lost or misplaced the certificate, the same can be obtained on payment of Rs.500/- through a Demand Draft in favor of MANAGE, Hyderabad or Online payment or Google pay and submit transaction details.

Undertaking:

The candidate from the government department who registers for the PGDAEM has to give an undertaking stating that he/she will complete the course within a period of two years, failing which the entire course fee i.e. Rs.15,000/- will be recovered from his/ her salary. The undertaking has to be forwarded by the Sponsoring authority/ Department to MANAGE along with the application form. The registration is valid for two years for all the candidates.

Note:

The applications of all the Govt. and SAU candidates should reach through proper channel only. The final admission of candidates rests on the discretionary power of the Director General, MANAGE. **Requests of candidates for withdrawal from the course shall not be considered after one month of registration. Any such requests should be routed through ATMA/ SAMETI only.**

Medium of instruction: English / Hindi

Last date for receiving the applications: 31.01.2025

The MANAGE website: www.manage.gov.in has provision for the following:

1. Admission list of candidates (Display and download)
2. Study material in English and Hindi, pre-recorded video lectures on all courses by experts. (Viewing and download)
3. Topics of Assignments and Topics of Project Report (Viewing and download).
4. Guidelines for contact classes, assignments, project work and term end examinations. (Viewing and download)
5. Question Bank (Viewing and download)
6. Examinations Schedule (Display)
7. Hall tickets of the term end and supplementary examination (Download)
8. Formats for results, UCs and Statement of Expenditure (SOEs) (Viewing and download).
9. Marks memos and Results (Display and download)
10. Feedback (Online submission)

For further details, contact PGDAEM cell:

Telephone: 040-24594597

Mobile : 9490797922

Email: directoraem@manage.gov.in



Address:

Deputy Director & Principal Coordinator (PGDAEM)
National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)
Rajendranagar, Hyderabad – 500 030
Website: www.manage.gov.in



**Post-Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM)
APPLICATION FORM – Eighteenth (2024-25) Batch**

For Official use

S. No.

Center Name:

State:

Affix recent
Passport size
Photograph
here
With signature
and attach one

Please fill the form in **capital letters** in your own handwriting**1. Name in capital letters Dr/Mr/Ms:**

D D

M M

YYYY

2. Date of birth:

--	--

--	--

--	--

--	--

3. Age as on 1.1.2024:

--	--	--	--

4. Sex:Male ☐Female ☐**5. Do you belong to SC/ ST / OBC / Physically Handicapped?**SC ☐ST ☐OBC ☐PH ☐Others ☐**6. Work:**Government ☐Non- Government ☐Private Organization ☐Others ☐**7. *Name of the Office/Department/ Institution/ NGO/ Agribusiness company/ Cooperative/ Farmers' Organization/ Others with postal address with PIN code for Correspondence:**

Present Full Designation of the Candidate in detail (Mandatory)*																			
Name of the Office/ Dept./ Institute*																			
Ward / Circle and Place																			
Taluk / Post Office																			
District																			
State																			
PIN Code (compulsory)*																			

8. Permanent Address of the Candidate:

Ward / Circle and Place*																			
Taluk / Post Office																			
District																			
State																			
PIN Code (compulsory)*																			

Office Telephone (with STD code)

Mobile:

Email:

Personal*:

Mobile*:

Email*:

***mandatory**

9. Qualifications (enclose attested copies of graduation only) (*Mandatory):

Sl. No.	Examination starting from Degree	Year of Pass	College	University	Class / Division
	Degree * (.....)				
	Post-Graduation** (.....)				
	Ph.D. (.....)				

*Note- Please mention B.Sc (Ag), B.V.Sc., Fisheries Others; ** M.Sc (Ag), M.V.Sc, M.F.Sc,.....and Others.

10. Number of years of experience:

11. In which language you would like to receive the study material: English ☐
Hindi ☐

12. a) Undertaking:

"I hereby certify that all the information furnished above by me is correct to the best of my knowledge and belief. I agree to abide by the code of conduct and rules as may be framed from time to time by MANAGE authorities for smooth conduct of the program".

b) Undertaking from Government Employees only

I hereby undertake that I will complete the PGDAEM within two years after registration to the program. Otherwise, I hereby authorize my controlling authority to recover the entire course fee of Rs.15,000/- from my salary.

Signature of the candidate with date

13. Forwarding authority: (Mandatory)

- a) Signature of immediate controlling authority with **Postal address** (with PIN Code) and Phone No.
- b) Signature of Project Director (ATMA) **(Mandatory)** with **Postal address** (with PIN Code) and Phone No.
- c) Signature of Director SAMETI / SNO **(Mandatory)** with office seal & Postal address (with PIN Code) email and office Phone No.

Application to be sent:

**Deputy Director & Principal Coordinator -PGDAEM
MANAGE, Rajendranagar, Hyderabad – 500 030.
Email: directoraem@manage.gov.in**



National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)

(An Autonomous Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)

Rajendranagar, Hyderabad 500 030, Telangana, India

www.manage.gov.in


मैनेज की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)

2024 - 2025

का अठारहवाँ बैच

“सरकारी विस्तार व्यवस्था में
व्यावसायिकता का विकास”



राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

www.manage.gov.in

संस्थान के बारे में:

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढ़ती हुई कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कार्मिकों के कौशलीय प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली विस्तार व्यवस्था प्रबंधन के तरीकों की आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज की स्थापना की गयी है।

अपने अधिदेश देश के अनुसार मैनेज, प्रशिक्षण, प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श सेवा एवं सूचना संसाधन के क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन एम ए ई टी) के कृषि विस्तार का उप मिशन (एस एम ए ई) के तहत आने वाला “विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन” की केंद्र प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन में मैनेज अपना योगदान प्रदान कर रहा है। यह कार्यक्रम 31 राज्यों व 5 संघ क्षेत्रों के 700 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)

भारत में लगभग एक लाख सार्वजनिक विस्तार कर्मी उपलब्ध है। सार्वजनिक और निजी विस्तार प्रणाली के विस्तार कर्मी भारतीय कृषि में गंभीर चिंताओं जैसे छोटी जोत वाले किसानों का बड़ा प्रतिशत, भारी उपज अंतर, इनपुट के उपयोग में असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तार वितरण प्रणाली में उनकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक और निजी विस्तार कर्मियों की सर्वोपरि महत्व को पहचानते हुए, मैनेज ने 2007 के दौरान दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक वर्षीय कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) को केंद्र स्तर पर प्रायोजित “विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम समर्थन” के तहत प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को आरंभ करके पंद्रह साल पूरे हुए हैं, 15वां बैच चालू है।

पिछले सालों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से 23,000 आवेदकों से अधिक पी जी डी ए ई एम कार्यक्रम में पंजीकृत हुए हैं। पी जी डी ए ई एम कृषि विस्तार कर्मियों के सुदृढ़ीकरण में यह एक अनोखा कार्यक्रम होने के नाते वर्तमान समय में इसके प्रति रुझान बढ़ती जा रही है।

वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 तक भारत सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2015-16 से राज्यों को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए व एफडब्ल्यू), भारत सरकार से विस्तार सुधार योजना के तहत 60%, 90%, और 100% क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी एवं तीन हिमालय के पहाड़ी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में दिया जा रहा है।

बाकि राशी का (मैचिंग शेयर) 40%, 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों और उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय के पहाड़ी राज्यों के राज्य सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है।

पीजीडीआईएम ने पुष्प क्षेत्र की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने और किसानों के साथ पेशेवर रूप से बातचीत करने में मदद की।

- सुश्री अल्मास फातिमा एम, स्वर्ण पदक विजेता, 16वां बैच पीजीडीआईएम

पीजीडीईएम कार्यक्रम के उद्देश्य:



विस्तार कर्मियों
की
तकनीकी -प्रबंधकीय
दक्षताओं
में
वृद्धि करना

विस्तार कर्मियों
को
कृषि क्षेत्र
के
नवीन कार्यों
से
अवगत
कराना

विस्तार कर्मियों
को
भागीदारी निर्णायन
हेतु
नवीन उपकरणों
तकनीकों संबंधी
ज्ञान प्रदान करना

कृषि मूल्य-श्रृंखला
में
दक्ष बनाने के लिए
विभिन्न
विस्तार मॉडलों
में गहराई विकसित
करना

पाठ्यक्रम की रूपरेखा और विषय-वस्तु

पाठ्यक्रम के 30 क्रेडिट होंगे और दो अर्धवार्षिकों में प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के 15 क्रेडिट होंगे। एक क्रेडिट 30 अध्ययन घण्टों के समान है। प्रथम अर्धवार्षिकी में पांच पाठ्यक्रम होंगे जिनमें से प्रत्येक का एक कोर्स तथा एक एसाईनमेंट होगा। द्वितीय अर्धवार्षिकी में चार पाठ्यक्रम होंगे जिसमें प्रत्येक का एक कोर्स और एक एसाईनमेंट सहित एक परियोजना कार्य भी होगा। पाठ्यक्रम, मुद्रित पठन सामग्री, लेक्चर सीरीज-सह संपर्क कक्षा एवं ई-लर्निंग रिसोर्सेस मैनेज वेबसाइट से युक्त है। लेक्चर सीरीज-सह संपर्क कक्षाएं प्रत्येक अर्धवार्षिकी में पाँच दिनों के लिए समेति (SAMET) या सम्बद्ध राज्य के किसी चुनी गई संस्था पर परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले आयोजित की जाएगी।

सत्र I व II हेतु पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

सत्र – I

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
ईईएम 101	कृषि विस्तार का परिचय	(3 क्रेडिट)
ईईएम 102	विकास हेतु सुगमता	(2 क्रेडिट)
ईईएम 103	विस्तार हेतु संचार	(4 क्रेडिट)
ईईएम 104	कृषि विकास हेतु महिलाओं को मुख्यधारा में लाना	(3 क्रेडिट)
ईईएम 105	नेतृत्व एवं प्रबंध कौशल	(3 क्रेडिट)

सत्र – II

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
ईईएम 201	ग्रामीण समाजशास्त्र	(2 क्रेडिट)
ईईएम 202	कृषि व्यापार प्रबंध	(4 क्रेडिट)
ईईएम 203	कृषि प्रबंधन हेतु नियोजन	(3 क्रेडिट)
ईईएम 204	सतत कृषि विकास हेतु विस्तार	(3 क्रेडिट)
ईईएम 205	परियोजना कार्य	(3 क्रेडिट)

सामान्य सूचना:

योग्यता मापदण्ड:

केंद्रीय/राज्य सरकारों के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने कृषि और अन्य विषयों जैसे बागवानी, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन आदि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान में केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के कृषि/संबद्ध क्षेत्रों के विभागों में कार्यरत अन्य स्नातक, एटीएमए के ब्लॉक और सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (बीटीएम और एटीएम) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) कार्यक्रम के लिए नामांकन के लिए पात्र हैं।

किसानों तक तकनीक
पहुंचाते समय मेरी संचार
और फेसिलिटेशन कौशल
में सुधार हुआ।

श्री अरुण कुमार,
रजत पदक विजेता,
16वां बैच

उपरोक्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि, संबद्ध विषयों में सभी स्नातक और कृषि-व्यवसाय कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों, किसान संगठनों, कृषि-उद्यमियों और इनपुट डीलरों में कार्यरत अन्य स्नातक भी पात्र हैं।

सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश और शुल्क:

चरण 1.

- सरकारी विभागों से संबंधित सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन (जैसा कि ब्रोशर में संलग्न है) अपने तत्काल नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- पीजीडीईएम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र संबंधित जिले के परियोजना निदेशक, एटीएमए को भेजे जाने चाहिए।
- निजी कंपनियों के निजी उम्मीदवारों को अपने संबंधित राज्यों के समितियों को आवेदन भेजना चाहिए।
- सरकारी विभागों के आवेदकों को, पीजीडीईएम में प्रवेश पाने हेतु अपने आवेदनों को अपने प्राधिकारियों के पास उस जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को अग्रेषित करने के निवेदन सहित प्रस्तुत करना होगा।

चरण 2.

आवेदनों की जाँच के पश्चात परियोजना निदेशक उन आवेदनों को सम्बद्ध राज्य के स्टेट नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को भेजने के अनुरोध के साथ सम्बद्ध राज्य के निदेशक - समेति को भेजेंगे।

चरण 3.

निदेशक समेती सभी आवेदनों को संकलित कर अपने राज्य के राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेंगे।

चरण 4.

एसएनओ द्वारा अनुमोदित सभी आवेदनों को 18वीं (2024-25) पीजीडीईएम बैच में प्रवेश के लिए मैनेज को भेजे जा सकते हैं।

फंड रिलीज पैटर्न:

इस कार्यक्रम के लिए, 60%, 90%, और 100% का पाठ्यक्रम शुल्क के लिए सामान्य राज्यों, उत्तर-पूर्वी व तीन हिमालय राज्य तथा केन्द्रशासित प्रांत क्रमशः विस्तार सुधार योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। राज्य का मिलान क्षेत्र 40%, और 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय राज्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समितियों (SAMETIs) को कॉन्टैक्ट कक्षाएं और परीक्षाओं के आयोजन के लिए दिया जाना है।

निजी प्रत्याशियों के लिए प्रवेश और शुल्क:

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन आदि में स्नातक विस्तार कार्यकर्ता और वर्तमान में केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के कृषि/संबद्ध क्षेत्रों के विभागों में कार्यरत अन्य स्नातक, एटीएमए के ब्लॉक और सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (बीटीएम और एटीएम) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) को अपने आवेदन उचित माध्यम से समेति/मैनेज द्वारा नामित अध्ययन केंद्रों को भेजने चाहिए। अध्ययन केंद्र द्वारा आवेदनों को मैनेज को अग्रेषित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के प्रवेश की अंतिम स्वीकृति का अधिकार मैनेज के पास है।

कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों और कृषि-उद्यमियों, इनपुट डीलरों, प्रगतिशील किसान, निजी क्षेत्रों के कर्मचारी आदि, की श्रेणी में रहने वालों को पाठ्यक्रम **शुल्क रु. 15,000/- एक किश्त में भुगतान करना होगा। राशी का भुगतान, मैनेज हैदराबाद पर देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट, ऑनलाइन या गूगल पे (स्क्रीनशॉट) का भुगतान अपने आवेदन के साथ सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजना होगा।** इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष असीमित सीटें उपलब्ध होती हैं।

खाता विवरण जिसमें शुल्क का भुगतान किया जा सकता है:

खाते का नाम: राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)

बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, शाखा - राजेन्द्रनगर,
हैदराबाद - 30

खाता संख्या: 42004841992

आईएफएससी कोड: SBIN0020074, एमआईसीआर कोड:
500002348

पीजीडीईएम वेबसाइट पेज पर मौजूद लिंक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं:

<https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/payment/listcategory.html>

आवेदन सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजी जानी चाहिए।

पीजीडीईएम पाठ्यक्रम अद्यतन और जानकारीपूर्ण था, जिससे मुझे किसानों को पढ़ाने के संबंध में वैज्ञानिक तरीके से जुड़ने में मदद मिली।

- सुश्री प्रसन्ना देवी.आर, कांस्य पदक विजेता, 16 वां बैच पीजीडीईएम

संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएँ:

प्रत्येक सेमेस्टर में पाँच दिनों के लिए अध्ययन केंद्र पर व्याख्यान श्रृंखला-सह-संपर्क कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी, जो परीक्षाएँ शुरू होने से पहले ही आयोजित की जाएँगी। अध्ययन केंद्र को मैनेज द्वारा घोषित प्रत्येक सेमेस्टर में एक माह के अंतराल पर संपर्क कक्षाएँ और परीक्षाएँ आयोजित करनी होती हैं।

प्रत्येक सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में पाँच दिन/दूसरे सेमेस्टर में चार दिन संपर्क कक्षाएँ आयोजित की जानी हैं, जिसमें प्रतिदिन एक कोर्स शामिल होगा।

संपर्क कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। संबंधित पाठ्यक्रमों की संपर्क कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाएगी।

मूल्यांकन:

आवेदक का लिखित परीक्षा व नियत कार्य (एसाईनमेंट) में उनके निष्पादन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा 70 अंकों का और एसाईनमेंट 30 अंकों का होगा।

प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा तथा नियत कार्य दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है साथ ही प्रोजेक्ट कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना होगा।

80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों प्रथम श्रेणी के साथ डिस्टिंक्शन

70% से 79.9% अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी

60% से 69.9% अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी

50% से 60% अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण

अतिरिक्त अवसर: 18वें बैच, 2024-25 के जो अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर के अंत में पूरक परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा, जो अभ्यर्थी उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष, 2025-26 के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में केवल एक अतिरिक्त अवसर के रूप में पुनः बैठने की अनुमति दी जाएगी।

अप्रैल, 2027 के उपरांत कोई और अवधि नहीं दी जाएगी।

प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर पी जी डी ए ईएम की सप्लिमेंटरी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए

(a) जो आवेदक सप्लिमेंटरी परीक्षा देना चाहता है उसे शुल्क रु. 200/- प्रति विषय देना होगा।

(b) जो आवेदक किसी एसाईनमेंट को पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं या देर से प्रस्तुत करते हैं उसे शुल्क रु. 200/- प्रति एसाईनमेंट देना होगा।

(c) परियोजना कार्य पुनः प्रस्तुत या देर से प्रस्तुत करने वाले आवेदक को शुल्क रु. 200/- भरना होगा।

नियत कार्य (एसाईनमेंट) : पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियत कार्य को प्रस्तुत करना (एसाईनमेंट) अनिवार्य है। नियत कार्य को प्रस्तुत नहीं करने पर उसे असंपूर्ण माना जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार नियत कार्य विषयों को मैनेज वेबसाइट पर रखा गया है। प्रत्याशियों को सत्र समाप्ति परीक्षा में उपस्थित रहने के पूर्व नियत कार्य को प्रस्तुत करना होगा।

परियोजना कार्य: पाठ्यक्रम 205: परियोजना कार्य (3 क्रेडिट) पूर्ण करना पीजीडीईएम सपत्र करने के लिए अनिवार्य है। आवेदकों को ईएम कार्यक्रम 205 की सीमा में से ए, बी, सी वर्ग में किसी एक विषय को चुनना होगा (विषय एवं निर्देश सूत्र मैनेज वेबसाइट में देखे जा सकते हैं)। विषय अपने कार्य क्षेत्र में तथा किसानों के लिए उपयोगिता और अपनी रुचि अनुसार लिया जा सकता है।

ए, बी, सी, वर्गों में से चुने गए विषय को परियोजना कार्य के रूप में क्षेत्र क्रियाकलाप (field activity) के लिए लेना होगा जिसे आवेदक को अपने अधिकार क्षेत्र में क्रियान्वित कर किसानों/स्टेक होल्डरों के साथ क्षेत्र स्तर पर किए गए कार्य को उसकी किसानों की उपयोगिता सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय सत्र की परीक्षाओं से पहले परियोजना रिपोर्ट को जमा करवाना होगा।

परियोजना कार्य समाप्ति के बाद परियोजना रिपोर्ट के सार की सॉफ्ट कॉपी मैनेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परियोजना कार्य रिपोर्ट हेतु 100 अंक निर्धारित हैं। परियोजना कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

परिणाम: पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम मैनेज वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्रों को अंक तालिका के साथ सम्बंधित समेति को भेजा जाएगा।

यदि प्रत्याशी प्रमाण-पत्र खो देता है, तो उसे मैनेज, हैदराबाद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, ऑनलाइन या गूगल पे के माध्यम से रु. 500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

वचन (अंडरटेकिंग) : पीजीडीईएम के लिए पंजीकृत सरकारी विभाग के प्रत्याशियों को यह वचन देना होगा कि वे दो वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे अन्यथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अर्थात, रु. 15,000/- उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। इस वचन को आवेदन पत्र के साथ मैनेज को प्रायोजित प्राधिकारी/विभाग द्वारा भेजना होगा। **पंजीकरण की वैधता सभी प्रत्याशियों हेतु केवल दो वर्षों के लिए होगी।**

नोट: सरकारी कर्मियों के आवेदनों को केवल उचित चैनल के माध्यम से भेजना होगा और मैनेज को सीधे भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों का अंतिम प्रवेश, के बारे में विशेषाधिकार महानिदेशक, मैनेज को ही होंगे। **पंजीकरण के एक माह के पश्चात सरकारी कर्मियों के द्वारा पाठ्यक्रम से नाम वापसी के निवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** किसी ऐसे निवेदनों को केवल आत्मा/समेती के माध्यम से भेजना होगा।

शिक्षण माध्यम: अंग्रजी / हिन्दी

आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31-01-2025 है।

मैनेज वेबसाइट: www.manage.gov.in पर निम्न हेतु प्रावधान है ।

1.	प्रत्याशियों के प्रवेश पत्र और प्रवेश सूची (देखे और डाउनलोड करें)
2.	अंग्रेजी व हिन्दी में अध्ययन सामग्री विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय पर पूर्व रिकार्ड किये गये (वीडियो) लेक्चर उपलब्ध हैं। (देखे और डाउनलोड करें)
3.	नियत कार्य के विषय और-परियोजना रिपोर्ट के विषय (देखे और डाउनलोड करें)
4.	संपर्क कक्षाएँ, एसाइनमेंट, परियोजना कार्य और सत्रांत परीक्षाओं संबंधी निर्देश। (देखे और डाउनलोड करें)
5.	प्रश्न बैंक (देखे और डाउनलोड करें)
6.	परीक्षा सारणी (दर्शाया जाएगा)
7.	सत्रांत एवं पूरक परीक्षा के हॉलटिकट (डाउनलोड करें)
8.	परिणाम, यू सी और एस ओ ई के प्रारूप (देखे और डाउनलोड करें)
9.	अंक तालिका और परिणाम (देखे और डाउनलोड करें)
10.	फीडबैक (ऑनलाईन प्रस्तुत करें)

अधिक जानकारी के लिए, पीजीडीआईएम प्रकोष्ठ से निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क करें:

टेलीफोन: 040-24594597, मोबाइल: 9490797922 ईमेल: directoraem@manage.gov.in



पता:

उप निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीआईएम)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

वेबसाइट : www.manage.gov.in



कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएम) आवेदन पत्र - सत्रहवाँ बैच (2024-25)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

क्र.सं. :

केन्द्र का नाम :

राज्य :

एक हस्ताक्षरित फोटो
चिपकाए, और अलग
से एक संलग्न करें

कृपया अपने स्वयं के हस्ताक्षर में बड़े अक्षरों में आवेदन भरें

1. नाम बड़े अक्षरों में डॉ /श्री /श्रीमती

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

दिनांक

माह

वर्ष

3. 1-1-2024 को आयु:

4. लिंग:

पुरुष:

स्त्री:

5. क्या आप अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. /शारीरिक विकलांग हैं ?

अ.जा.

अ.ज.जा.

अ.पि.व.

शा.वि.

अन्य

6. सरकारी कर्मी

गैर-सरकारी

निजी संगठन

अन्य

7. विभाग/संस्थान/एनजीओ/कृषि व्यापार कंपनी/सहकारी संस्था/किसान संगठन/अन्य का नाम, डाक पता के साथ।

आवेदक का वर्तमान पद																			
कार्यालय/विभाग/संस्थान का नाम																			
वार्ड/सर्कल और स्थान																			
तालुका/पोस्ट आफिस																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड (आनिवार्य)																			

8. आवेदक का स्थाई पता

वार्ड/सर्कल और स्थान																			
तालुका/पोस्ट आफिस																			
जिला																			
राज्य																			
पिन कोड (आनिवार्य)																			

कार्यालय दूरभाष सं. : एसटीडी कोड के साथ		नि जि	
मोबाईल नं. :		मोबाईल नं. *:	
ई-मेल:		ई-मेल:	

*अनिवार्य

9. शैक्षणिक योग्यताएं (साक्षात्कृत प्रतियां संलग्न करें)

क्र.सं.	परीक्षा, स्नातक से प्रारंभ करें	उत्तीर्णता का वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	श्रेणी/डिवीजन
1.	डिग्री (स्नातक) * (.....)				
2.	स्नातकोत्तर** (.....)				
3.	पीएचडी (.....)				

*टिप्पणी: कृपया बीएससी (कृषि), बी वी एस सी, मात्सकी

अन्य,

**एमएससी (कृषि), एम.वी.एस.सी, एम. मत्सकी और अन्य का उल्लेख करें।

10. अनुभव (वर्षों में):

11. किस भाषा में आप अध्ययन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं: अंग्रेजी हिन्दी

12. अ) वचन

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत की गयी सभी सूचना मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। मैं पाठ्यक्रम के निर्बाध संचालन हेतु मैनेज द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम व आचरण संहिता के प्रति बाध्य रहने के लिए सहमत हूँ।

आ) केवल सरकारी कर्मियों से वचन

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं यह दो वर्षों के भीतर पीजीडीआईएम को पूरा करूंगा। अन्यथा मैं मेरे नियंत्रक प्राधिकारियों को एतद्वारा अधिकृत करता हूँ कि मेरे वेतन से ₹ 15,000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क वसूल करें।

प्रत्याशी का हस्ताक्षर,

दिनांक के साथ

13. प्रेषण प्राधिकारी: (अनिवार्य)

क) उच्च नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

डाक का पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ख) परियोजना निदेशक (एटीएमए) के हस्ताक्षर

डाक का पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ग) निदेशक समेती/एसएनओ के हस्ताक्षर

कार्यालयीन मुहर एवं डाक का पता (पिन कोड नं.)

ई-मेल तथा कार्यालय फोन नं.

आवेदन भेजने का पता:

उप निदेशक एवं प्रधान समन्वयक - पीजीडीआईएम

मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030.

ई-मेल: directoraem@manage.govin



National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)

(An Autonomous Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)

Rajendranagar, Hyderabad 500 030, Telangana, India

www.manage.gov.in